



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265213
CG-DL-E-05082025-265213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3496]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947

No. 3496]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

का.आ. 3582(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का संख्यांक 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से घरेलू उपयोग के लिए स्टार लेबल युक्त तरलीकृत घरेलू पेट्रोलियम गैस चूल्हा हेतु निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक विनिर्दिष्ट करती है, जो 01 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे:-

- भारत में निर्मित, आयातित या बिक्री हेतु घरेलू खाना पकाने के उद्देश्य से प्रयुक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर कार्य करने वाले प्रत्येक घरेलू गैस चूल्हे को भारतीय मानक 4246:2002 में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा;
- परिभाषाएं:** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक 6480:2023 में दी गई परिभाषाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

(क) **घरेलू गैस चूल्हा:** घरेलू गैस चूल्हा से अभिप्रेत है धात्विक संरचना वाले घरेलू गैस दहन उपकरण से है, जिसमें कठोर कांच का शीर्ष हो या न हो, तथा जिसमें एकल या अनेक बर्नर, इंजेक्टर जेट, गैस टैप, बर्नर पैन सपोर्ट, पाइपिंग एवं फिटिंग शामिल हैं, जो 30 ग्राम-बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर (gf/cm²) गैस इनलेट दबाव पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयोग में लाया जाता है।

टिप्पण: दाब नियंत्रक (प्रेसर रेगुलेटर) इसमें शामिल नहीं है।

- (ख) **लेबल:** घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे पर प्रदर्शित कोई भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहरांकित या ग्राफिक जानकारी।
- (ग) **लेबल अवधि:** तालिका 3.1 में यथा विनिर्दिष्ट तापीय दक्षता मानकों की लेबल वैधता अवधि।
- (घ) **तापीय दक्षता:** तापीय दक्षता, से अभिप्रेत है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने वाले घरेलू गैस चूल्हों की दक्षता "भारतीय मानक 4246:2002 के खंड 26" (समय-समय पर संशोधित) में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी;
3. **स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना.-** (1) स्टार रेटिंग या "स्टार स्तर" से अभिप्रेत है घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे के लेबल पर तापीय दक्षता का स्तर।
- (2) घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे पर लगाये जाने वाले लेबल पर एक सितारा के अंतराल में न्यूनतम एक (1) से अधिकतम पांच (5) सितारों के बीच प्रदर्शित होंगे।
- (3) स्टार रेटिंग की गणना निम्नलिखित तालिका 3.1 में विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग बैंड से तापीय दक्षता के आधार पर की जाएगी, अर्थात:-
- (4) प्रत्येक घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हा इस अधिसूचना के उप-पैरा (1) से (3) में निर्धारित प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऊर्जा खपत मानक को संदर्भित करेगा।

तालिका 3.1 घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हा के लिए स्टार रेटिंग योजना	
वैधता (1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक)	
स्टार स्तर	तापीय दक्षता (भारतीय मानक 4246: नवीनतम के अनुसार)
1 स्टार	≥68% और <70%
2 स्टार	≥70% और <72%
3 स्टार	≥72% और <74%
4 स्टार	≥74 % और <76%
5 स्टार	≥76%

- (5) स्टार स्तर या स्टार रेटिंग योजना की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात या तालिका की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, की जाएगी।

- 4 **परीक्षण और सहनशीलता.-** (1) घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे के स्टार स्तर के निर्धारण हेतु, इस अधिसूचना की तालिका 4.1 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :

तालिका 4.1		
क्र. सं.	परीक्षण पैरामीटर	परीक्षण मानक
1	तापीय दक्षता	भारतीय मानक 4246:2002 का खंड 26 (समय-समय पर संशोधित)
2	गैस की खपत	भारतीय मानक 4246:2002 का खंड 17 (समय-समय पर संशोधित)

- (2) स्टार रेटिंग बैंड के लिए कोई नकारात्मक सहनशीलता लागू नहीं है तथा सभी परीक्षित उत्पादों को प्रत्येक स्टार रेटिंग बैंड के न्यूनतम मान को पूरा करना होगा।
- (3) विनिर्माण सहनशीलता एवं अन्य विचलनों के दायरे का लेखा-जोखा विनिर्माता या अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट मॉडल की स्टार रेटिंग निर्धारित करते समय किया जाएगा।
- 5 **भागीदारी हेतु पात्रता,-** (1) उपकरण निर्माता, आयातक या व्यापार में संलग्न व्यक्ति, ब्यूरो के साथ पंजीकरण करके, इस योजना में मानक और लेबलिंग पोर्टल के माध्यम से भाग लेंगे।

- (2) उपकरण केवल तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए उपयुक्त है, किसी अन्य गैस परिवार के लिए नहीं।
- (3) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे हेतु वैध ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लाइसेंस।
- (4) निर्माताओं को भारतीय मानक 4246:2002 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो केवल राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल), अन्तरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आई एल ए सी), एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (ए पी ए सी) अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा विधिवत प्रत्यायित हो ।
- 6 ऊर्जा दक्षता मानदंड,-** (1) घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे के प्रत्येक बर्नर की तापीय दक्षता, इस अधिसूचना की तालिका 3.1 में प्रत्येक स्टार स्तर हेतु विनिर्दिष्ट मान से कम नहीं होगी ।
- (2) घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे के लिए, स्टार लेबलिंग हेतु चूल्हे के बर्नर की न्यूनतम तापीय दक्षता विचारणीय होगी।
- 7 परीक्षण रिपोर्ट,-** (1) परीक्षित प्रतिदर्श के परिणामों की रिपोर्ट इस अधिसूचना के "संलग्नक-क" में दिए गए विहित प्रारूप में दी जाएगी।
- (2) पंजीकरण हेतु प्रत्येक घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हा मॉडल के तीन प्रतिदर्शों की परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक है।
- (3) घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस चूल्हे के प्रत्येक बर्नर की तापीय दक्षता।
- (4) सभी तीन प्रतिदर्शों के लिए गैस की खपत (किलोग्राम में)।
- 8 परीक्षण प्रक्रिया:**
- इस अधिसूचना में परीक्षण भारतीय मानक 4246:2002 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

संलग्नक क

परीक्षण परिणाम रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र

(प्रत्येक प्रकार/मॉडल के लिए पृथक परीक्षण परिणाम प्रपत्र प्रयुक्त किया जाएगा)

परीक्षण रिपोर्ट संख्या _____

तारीख: _____

(क) सामान्य विवरण:

(i)	कंपनी का नाम और पता	
(ii)	संपर्क व्यक्ति का नाम तथा संपर्क संख्या	
(iii)	परीक्षण प्रयोगशाला का नाम और पता	
(iv)	परीक्षण रिपोर्ट संख्या	
(v)	परीक्षण की तारीख	
(vi)	परीक्षण मानक	
(vii)	किए गए परीक्षण की प्रकृति व विवरण	

(ख) उत्पाद विवरण:

(i)	ब्रांड	
(ii)	प्रकार	
(iii)	मॉडल का नाम/संख्या	
(iv)	बर्नरों की संख्या	
(v)	बर्नरों की सामग्री	
(vi)	बर्नर संबंधी विनिर्देशन	

(ग) प्रेषण और परिणाम:

निम्नलिखित विहित प्रारूप में बर्नर का ब्यौरा :

क्रमांक	किया गया परीक्षण		परीक्षण परिणाम		औसत
		(1)	(2)	(3)	
(1)	मापी गई गैस प्रवाह दर (लीटर प्रति घंटा में)				
(2)	घोषित गैस प्रवाह दर (लीटर/घंटा में)				
(3)	लिए गए पानी का द्रव्यमान (द्रव्यमान 1), किग्रा				
(4)	पात्र का द्रव्यमान (M2), किग्रा (ढक्कन व स्टिरर सहित)				
(5)	प्रारंभिक तापमान (डिग्री सेल्सियस में)				
(6)	अंतिम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)				
(7)	गैस की खपत (द्रव्यमान 3), किग्रा				
(8)	तापीय दक्षता (प्रतिशत में)				

टिप्पण: भारतीय मानक 4246:2002 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, गैस का शुद्ध कैलोरी मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि यह मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, तो बर्नरों की तापीय दक्षता की गणना हेतु इसे 10900 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम (kcal/kg) लिया जा सकता है।

[फा. सं. 10/2/2025- ईसी]
आकाश त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, 4th August, 2025

S.O. 3582(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labeled domestic liquefied petroleum gas stove for household use, with effect from 1st January, 2026, namely:-

1. Every domestic liquefied petroleum gas stove for domestic cooking uses that works on liquid petroleum gas being manufactured, imported, or sold in India shall meet the compliance requirements contained as per Indian Standard 4246: 2002;

2. **Definitions:** For the purposes of this notification, following definitions, in addition to those given in IS 6480: 2023, shall apply:-

- (a) **domestic gas stove:** the domestic gas stove means domestic gas burning appliance with metallic bodies with or without toughened glass top, consisting of single or multiple burners, injector jets, gas taps, burner pan supports, piping and fitting intended for use with liquefied petroleum gas at 30 grams-force per square centimetre (gf/cm²) gas inlet pressure.

Note: Pressure regulator is not included.

- (b) **label:** any written, printed, marked, stamped, or graphic information displayed on the domestic liquefied petroleum gas stove;
- (c) **Label Period:** The label validity period of the thermal efficiency standards as specified in the table 3.1.
- (d) **thermal efficiency:** the thermal efficiency means that the domestic gas stoves using liquefied petroleum gas shall be determined as per test procedure specified in "clause 26 of IS 4246: 2002" (as amended from time to time);

3. **Star rating or star level plan.**— (1) The star rating or “star level” means the level of thermal efficiency on the label of the domestic liquefied petroleum gas stove.

- (2) The label to be affixed on domestic liquefied petroleum gas stove shall display between a minimum of one and a maximum of five shown in one star interval.
- (3) The star rating is calculated based on the thermal efficacy from the Star Rating Band as specified in the following table 3.1, namely:-
- (4) Every domestic liquefied petroleum gas stove shall refer to energy consumption standard which meets the performance requirements as laid down in sub-paragraph (1) to (3) of this notification.

Table 3.1 Star Rating Plan for domestic liquefied petroleum gas stove	
Validity (from 1 st January, 2026 to 31 st December, 2028)	
Star Levels	Thermal efficiency (As per IS4246: Latest)
1 Star	≥68% and <70%
2 Star	≥70% and <72%
3 Star	≥72% and <74%
4 Star	≥74 % and <76%
5 Star	≥76%

(5). The star level or star rating plan shall be reviewed after every two years or before the expiry of the table validity period whichever is earlier.

- 4 Testing and tolerance.**- (1) For the purpose of determining the star level of a domestic liquefied petroleum gas stove, the following test shall be used as specified in the table 4.1 of this notification, namely:-

Table 4.1		
S. No	Test parameters	Test Standards
1	Thermal efficiency	clause 26 of IS 4246:2002(as amended from time to time)
2	Gas consumption	clause 17 of IS 4246:2002(as amended from time to time)

- (2) There is no negative tolerance for the Star rating bands is applicable and all tested products must meet the minimum value for each Star rating band.
- (3) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer or permittee while determining the Star Rating of a particular model.
- 5 ELIGIBILITY FOR PARTICIPATION.**- (1) The manufacturers of equipment or importers or persons-in-trade shall participate through standards and labeling portal in the scheme by registering with the Bureau;
- (2) The appliance is suitable with only liquefied petroleum gas and not with any other family of gases.
- (3) Valid Bureau of Indian Standards (BIS) certification marks licence for liquefied petroleum gas stove.
- (4) The manufacturers are required to submit the test report as per IS 4246:2002(as amended from time to time),which has been duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Accreditation Cooperation or Council of Scientific & Industrial Research certified laboratory only.
- 6 Energy Efficiency Criteria.**- (1) The Thermal Efficiency of each burner of domestic liquefied petroleum gas stove shall not be less than value specified in table 3.1 of this notifications for each star level.
- (2) For domestic liquefied petroleum gas stove, the lowest thermal efficiency of a burner of the stove shall be considered for Star labeling.
- 7 Test report.**- (1) The results of the sample tested shall be reported on the prescribed format given in Annexure – A of this notification.
- (2) A test report for three numbers of samples of each domestic liquefied petroleum gas stove model is required for registration;
- (3) Thermal Efficiency of each burner of the domestic liquefied petroleum gas stove.
- (4) Gas Consumption (kilogram) for all three samples.
- 8 Testing Procedure:** The tests outlined in this notification shall be conducted according to IS 4246:2002(as amended from time to time).

Annexure A**Form for reporting the results of tests****(Separate test report format shall be used for each type/models)****Test Report No.****Date:****(A) General Details:**

(i)	Name of the Company and address	
(ii)	Name of Contact Person with Contact No.	
(iii)	Name of Test Lab and Address	
(iv)	Test Report No.	
(v)	Date of Test	
(vi)	Test Standards	
(vii)	Nature of Test and Details of Test Conducted	

(B) Product Details:

(i)	Brand	
(ii)	Type	
(iii)	Model name/number:	
(iv)	No. of Burners	
(v)	Material of Burners	
(vi)	Burners Specifications	

(C) Observations and Results:**Burner's details in prescribe format below:**

S.No.	Test Conducted		Test Result		Average
		(1)	(2)	(3)	
(1)	Gas Flow rate measured l/h				
(2)	Gas flow rate declared, l/h				
(3)	Mass of water taken (M1), kg				
(4)	Mass of vessel including lid & stirrer (M2), kg				
(5)	Initial Temperature, deg. C				
(6)	Final Temperature, deg. C				
(7)	Gas consumption (M3), kg				
(8)	Thermal efficiency (%)				

NOTE:—According to IS 4246:2002(as amended from time to time), the net calorific value of gas must be determined experimentally. If this value is not determined experimentally, it may be taken as 10900 kilocalories per kilogram (kcal/kg) for the calculation of thermal efficiency of burners.

[F.No.10/2/2025-EC]
AKASH TRIPATHI, Addl. Secy.